न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-72/2018/भीलवाडा(2018/00072)

1. श्रीमती पारसीदेवी पत्नी हीरालाल मीणा
2. दिव्या पुत्री हीरालाल मीणा नाबालिग जरिये वली माता पारसीदेवी पत्नी हीरा लाल मीणा

   दोनों निवासीगण ग्राम सेहलादाता हाल उमर तहसील हिण्डोली जिला बंदी

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती हजारी देवी पत्नी सुखदेवमीणा निवासी सेहलादाता तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. श्रीमती प्रेम पुत्री सुखदेव मीणा पत्नी रंगलाल मीणा हाल निवासी लुहारिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. रामगणी पुत्री सुखदेव मीणा पत्नी फूलसिंह मीणा निवासी हाल लुहारिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. मनभर पुत्री सुखदेव मीणा पत्नी सोहनलाल मीणा निवासी हाल मायला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. कमला पुत्री सुखदेव मीणा पत्नी कैलाश मीणा निवासी हाल मायला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
6. हीरा पुत्री सुखदेव मीणा पत्नी हेमराज मीणा निवासी चितवास तहसील केकडी जिला अजमेर
7. भूला पुत्री सुखदेव मीणा पत्नी बाबूलाल मीणा हाल निवासी उमर तहसील हिण्डोली जिला बूदी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोंक

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा दिनांक 13.05.2016 प्रकरण संख्या 32/2015

उपस्थितः-

1. श्री वी0पी0 सिंह, अभिभाषक [illegible]
2. श्री रमजान मो[illegible] अभिभाषक [illegible]
3. राजकीय अभिभाषक श्री आकाश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांकः-.....30.09.2021..........

अपीलांट ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

1- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि के खातेदार सुखदेव पुत्र रामकिशन की मृत्यु होने पर विवादित भूमि में निहित सुखदेव के हिस्से की भूमि का नामांतरकरण संख्या 58 दिनांक 13.12.2004 को तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा उसके एक मात्र पुत्र हीरालाल पुत्र सुखदेव के नाम तस्दीक किया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंटस ने अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में भारी मियाद बाहर रूप से पेश की, जिसे उन्होनें अपने आदेश दिनांक 13.05.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पुनः निर्णित करने हेतु तहसीलदार, जहाजपुर को प्रतिप्रेषित किया। तत्पश्चात तहसीलदार, जहाजपुर ने बिना रिमाण्ड आदेश की पालना किए एवं बिना किसी प्रकार की जांच किये अपने आदेश दिनांक 14.03.2015 द्वारा भूमि का नामांतरकरण रेस्पोडेंटस के पक्ष में 1/6 - 1/6 हिस्सा एवं अपीलांटस के पक्ष में 1/24 - 1/24 हिस्सा दर्ज करने के गैर कानूनी आदेश पारित कर दिये। जिसकी अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 158 दिनांक 26.06.2015 को स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में पेश की, जिसे सरसरी तौर अपने आदेश दिनांक 13.05.2016 द्वारा खारिज फरमा दी। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के अभिभाषक उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई।

3- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थीयां ग्रामीण परिवेश की विधवा औरत है जो पति के देहान्त के बाद बूंदी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिसे कानूनी प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं है तथा प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में पैरवी हेतु अपना अभिभाषक नियुक्त किया था जिन्होनें प्रार्थीगण को यह [illegible] था कि उन्हें प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है एवं वे प्रकरण में होने वाली बहस एवं निर्णय से प्रार्थीगण को पत्र द्वारा सूचित कर देगें किन्तु दिनांक 13.05.2016 को अपील खारीज होने के बावजूद भी उनके द्वारा इसकी सूचना प्रार्थीगण को नहीं दी गई। जबकि दिनांक 19.07.2018 को प्रार्थीगण ने वकील साहब द्वारा अपील खारीज होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested

बाबत जानकारी दी तब प्रार्थीगण ने नकलें आदि प्राप्त कर आवश्यक फीस आदि का प्रबन्ध किया एवं अविलम्ब अजमेर आकर यह अपील जानकारी के अन्दर मियाद माननीय न्यायालय क समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। अपील में हुआ विलंब सदभाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करने की कृपा करे।

4- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई गौर नहीं फरमाया कि विवादित भूमि के खातेदार सुखदेव थे जिनके एक मात्र पुत्र वारिस अपीलांट के के पति एवं पिता हीरालाल थे, जिससे सुखदेव की मृत्यु उपरान्त नामांतरकरण संख्या 58 दिनांक 13.12.2004 को अपीलांटस के पति एवं पिता हीरालाल के नाम विधिवत रूप से तस्दीक किया गया था फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि सम्मत रूप से तस्दीक नामांतरकरण को नजर अन्दाज कर बिना किसी ठोस आधार के मृतक सुखदेव के 6 पुत्रीयां एवं जीवित पत्नी के नाम न केवल 1/6 - 1/6 हिस्से का नामांतरकरण दर्ज करने का एवं अपीलांटस के नाम 1/24 - 1/24 हिस्से का नामांतरकरण दर्ज करने का गैर कानूनी आदेश पारित कर दिया। जिसके पीछे कोई ठोस आधार अथवा गणना नहीं बताई गई। अभिभाषक ने अपनी बहस में उल्लेख किया कि पक्षकारान मीणा जाति से संबंध रखते है एवं मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होकर कस्टमरी लॉ लागू होता है, जिसके तहत पुरूष उत्तराधिकारी के रहते महिला उत्तराधिकारी के नाम नामांतरकरण नहीं खोला जा सकता। प्रकरण में मृतक सुखदेव के एक मात्र पुत्र उत्तराधिकारी अपीलांटस के पिता एवं पति हीरालाल थे जिनके पक्ष में विधिवत रूप से नामांतरकरण संख्या 58 दिनांक 13.12. 2004 को स्वीकार किया गया था। अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा मृतक के अन्य वारिसान को सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया था परन्तु उससे विधिक स्थिति परिवर्तित नहीं हो जाती है। तहसीलदार, जहाजपुर का यह विधिक दायित्व था कि वह प्रचलित कानून के मुताबिक नामांतरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करते लेकिन उनके द्वारा विधिक प्रावधानों के बाबत कोई जांच नहीं कर पटवारी हल्का के बयान के आधार पर रेस्पो0 मृतक सुखदेव के वारिस होने मात्र से रेस्पो0 के नाम 1/6 - 1/6 हिस्से का नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो कतई अवैधानिक था एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा ने भी इस बाबत अपीलांटस द्वारा उठाये गये विधिक बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर सरसरी तौर पर अपीलांट की अपील खारिज [illegible] भारी भूल की है, जिससे उनका निर्णय काबिल निरस्त योग्य है।

5- अपीलांटस अभिभाषक ने बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा ने अपने निर्णय में यह मानने में भारी भूल की है कि अपीलांटस ने तसहीलदार, जहाजपुर के आदेश दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध अपील नहीं कर नामांतरकरण संख्या 158 दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध अपील पेश की है। जबकि उन्हें आदेश दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested

पेश करने चाहिये थी, मात्र यह मानते हुए कि अपीलांटस की अपील खारिज करने में भारी भूल की है जबकि अपीलांटस ने अपील में तहसीलदार, जहाजपुर के मूल आदेश को ही चुनौती दी है। मात्र अपील के मीमो में नामांतरकरण संख्या 158 दिनांक 26.06.2015 लिख देने मात्र से अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार परिवर्तित नहीं हो जाता है और ना इस आधार पर अपील को निरस्त किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों (अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा एवं तहसीलदार, जहाजपुर)द्वारा पारित आदेश क्रमशः दिनांक 13.05.2016 एवं 14.03.2015 को निरस्त फरमाकर मूल नामांतरकरण संख्या 58 दिनांक 13.12.2004 को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान करावें। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान वकील अपी0 ने आर0आर0डी0 1988 पेज 62 पैरा-6 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने जवाब बहस में कथन किया कि दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांटस ने माननीय न्यायालय मियाद बाहर पेश की है। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के यहां तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 158 दिनांक 26.06.2015 को चुनौति दी है जबकि अपीलांटस को अधी0न्याया0 अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 30/2011 दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी थी। अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित किये है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे । अपने कथनों के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0बी0जे0 2020 (27) पेज 644 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । उक्त साइ टेशन के अनुसार **"जब प्रार्थी के पक्ष में किया गया भूमि के आवंटन का आदेश ही निरस्त हो गया, तब उसके आधार पर प्रार्थी के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है।"**

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया । बहस सुनी गई, हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निर्णित करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8- वकील अपीलांट के अनुसार जनजाति लोगों हेतु विरासत के लिए हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 लागू नहीं होकर [illegible] कानून या नियम लागू होते है। दिनांक 14.03.2015 को तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया। उस समय अपीलांट पक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। किसका कितना हिस्सा होगा यह भी गलत तरीके से निर्णित किया गया है। वकील रेस्पो0 के अनुसार अपीलांट को 30/11 प्रकरण के निर्णय दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध अपील करनी थी जो उसके द्वारा नहीं की जाकर सिर्फ नामांतकरण को चेलेंज किया है। अपील को मियाद बाहर बताया। रिब्युटल में वकील अपीलांट ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested

कहा है कि रेस्पों0 अभि0 ने मेरिट के उपर कुछ नहीं कहा है। उनके द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 13.05.2016 में निर्णित ए डी एम न्यायालय द्वारा टाइटल में यह चीज लिखी हुई है। (अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार जहाजपुर नामांतकरण संख्या 158 निर्णय दिनांक 26.06.2015 अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट) तकनीकी आधार पर प्रकरण को निर्णित नहीं किया जाये। अतः न्यायालय इस बात से सहमत है कि वकील अपीलांट द्वारा तहसीलदार के निर्णय दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध एवं इसके संदर्भ में खोले गए नामांतकरण संख्या 158 के विरूद्ध अपील की है। जो उनके द्वारा प्रस्तुत अपील टाइटल में लिखा हुआ है।

9– प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। मूल रूप से इस प्रकरण में यह तय करना है कि मीना जाति के लोगों में हिन्दु उत्तराधिकार 1956 लागू होगा अथवा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के तहत संविधान के अनुच्छेद 366 खण्ड 25 के अर्थ के अन्तर्गत कस्टमरी कानून लागू होगा। वर्तमान प्रकरण में भी अपीलांट व रेस्पोडेंट मीना जनजाति से है। नन्दा बनाम वरदी 1988 आर आर डी 61 के अनुसार पक्षकार मीना अनुसुचित जनजाति सदस्य थे तथा इन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अन्य प्रकरणों 1966 आर आर डी 66,आरआरडी 51 में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अनुसुचित जनजाति पर परंम्परागत हिन्दु विधि लागू होगी। प्रकरण नन्दा बनाम वरदी में नन्दा जो कि पुत्र था उसको पूरी भूमि प्राप्त हुई और पुत्री को कुछ नही मिला। अनुसुचित जनजाति में विरासत निम्न प्रकार है– पुत्र, विधवा, अविवाहित पुत्रिया, विवाहित पुत्रिया इस क्रम के अनुसार ही उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। यदि पुत्र जीवित है तो समस्त भूमि उसको ही मिलेगी, अन्य को कुछ नहीं मिलेगा। केन्द्र सरकार द्वारा जब तक पृथक से अधिसूचना नहीं जारी की जाएगी। तब तक मीना जनजाति में विरासत के लिए कस्टमरी लॉ ही लागू होगी। विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0बी0जे0 2020 (27) पेज 644 के न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। उक्त साइटेशन के अनुसार **''जब प्रार्थी के पक्ष में किया गया भूमि के आवंटन का आदेश ही निरस्त हो गया, तब उसके आधार पर प्रार्थी के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है।''** वर्तमान प्रकरण में विरासत का प्रश्न तथा उत्तराधिकार के लिए कस्टमरी नियम लागू होगा या नहीं इस बाबत् विवाद है। उक्त साइटेशन इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। नन्दा बनाम वरदी 1988 आर आर डी 61 के अनुसार पक्षकार मीना अनुसुचित जनजाति सदस्य थे तथा इन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अन्य प्रकरणों 1966 आर आर डी 66,आरआरडी 51 में भी सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अनुसुचित जनजाति पर परम्परागत हिन्दु विधि लागू होगी। वर्तमान प्रकरण में उक्त रूलिंग चस्पा होती है। सुखदेव की मृत्यु के बाद उसकी विरासत हीरालाल के पक्ष में तथा उसकी(हीरालाल) मृत्यु के बाद उसकी पत्नि पारसीदेवी के नाम खुलनी थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendraj Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested

10- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतकरण संख्या 58 दिनांक 13.12.04 तहसीलदार जहाजपुर के द्वारा सुखदेव पुत्र रामकिशन की मृत्यु पर उसके हिस्से की भूमि का नामांतकरण सिर्फ पुत्र हीरालाल के पक्ष में खोला गया था। ए डी एम भीलवाड़ा द्वारा रेस्पोडेंट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 13.05.11 को दुबारा निर्णय के लिए तहसीलदार जहाजपुर पुनः निर्णय हेतु प्रेषित किया गया। तहसीलदार द्वारा इस हेतु प्रकरण संख्या 30/11 दिनांक 14.03.2015 में पटवारी हल्का 6 दिनांक 12.03.2015 से प्राप्त मौका पर्चा के अनुसार सुखदेव पिता रामकिसन मीणा व उसके पुत्र हीरालाल मीणा निवासी सहलादाता की मृत्यु होना पाया जाता है। तथा मृतक सुखदेव के तथा हीरालाल के वारिसान होने से मृतक सुखदेव पिता रामकिसन के बजाय हजारी बेवा सुखदेव 1/6 प्रेम, रामघणी मनभर, कमला, हीरां, भूला 6/8 हि.ब.हिस्सा पुत्री हीरालाल 1/24 पारसी देवी बेवा हीरालाल 1/24 दिव्या ना.बा. व विलापत मल्ला पारसीदेवी के नाम विरासत किया जाना उचित माना है। उक्तानुसार नामांतकरण संख्या 158 दिनांक 26.06.2015 स्वीकृत किया गया जिसकी अपील ए डी एम न्यायालय अजमेर में पेश की गई। जिससे उन्होनें अपने आदेश दिनांक 13.05.2016 से खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में उक्त अपील विचाराधीन है।

वकील अपीलांट ने बहस के दौरान यह कहा कि हिस्सा कैसे कायम किया गया यह नहीं बताया गया, नामांतकरण संख्या 158 का अवलोकन किया गया।वकील अपीलांट की यह बात सही है कि अपीलांट को जो हिस्सा दिया गया है वह कम करके दिया गया है। जमाबन्दी के अनुसार सुखदेव पिता रामकिशन का हिस्सा 1/6 है तो सुखदेव की मृत्यु के बाद उसके जो वारिसान है उनका हिस्सा निम्नानुसार होगा-

सुखदेव पिता रामकिशन(मृतक):-
पत्नि(हजारी)-1/48
प्रेम(पुत्री)-1/48
रामघणी(पुत्री)-1/48
मनभर(पुत्री)-1/48
कमला(पुत्री)-1/48
हीरा(पुत्री)-1/48
भूला(पुत्री)-1/48
हीरालाल(मृतक पुत्र)-पारसीदेवी(हीरालाल की पत्नि)-1/96
दिव्या(हीरालाल की नाबालिग पुत्री)-1/96

इस प्रकार पारसीदेवी पत्नि हीरालाल को 1/96 हिस्सा, दिव्या पुत्री हीरालाल को 1/96 हिस्सा, हजारी पत्नि सुखदेव को 1/48 हिस्सा, प्रेम,रामघणी मनभर,कमला, हीरा, भूला को 6/48 हिस्सा मिलेगा। नामांतकरण संख्या 158 जो दिनांक 26.06.2015 को स्वीकृत किया गया, मे दिव्या पुत्री हीरालाल को 1/144 हिस्सा तथा पारसीदेवी बेवा हीरालाल को 1/144 हिस्सा दिया गया जो उपर लिखित विवेचनानुसार गलत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार जहाजपुर द्वारा ए डी एम न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा रिमाण्डेड केस में विधि का ध्यान नहीं रखते हुए निर्णय करते हुए जो नामांतकरण खुलवाया है वह निर्णय एवं नामांतकरण विधि विरूद्ध है। जो कि खारिज योग्य है।

ए0डी0एम0 भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 32/2015(अपील) में अपने निर्णय दिनांक 13.05.2016 से यह कहा है कि अपीलार्थी को नामांतकरण संख्या 158 दिनांक 26.06.2015 हेतु यदि कोई आपत्ति थी तो उसे नामांतकरण संख्या 158 की अपील करने की बजाय न्यायालय के प्रकरण संख्या 30/2011 निर्णय दिनांक 14.03.2015 की सक्षम न्यायालय में अपील की जानी चाहिए थी। ए0डी0एम0 न्यायालय द्वारा मात्र सरसरी तौर पर उक्त निर्णय दिया गया है। न्यायालय अपीलांट अभिभाषक की बात से सहमत है।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 72/2018 (2018/00072) बउनवानी पारसीदेवी व अन्य बनाम हजारी देवी व अन्य अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 30/2011 निर्णित दिनांक 14.03.2015 एवं इसके फलस्वरूप खोले गए नामांतकरण संख्या 158 दिनांक 26.06.2015 ग्राम सहलादाता को खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार जहाजपुर को पुनः इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मीना जनजाति के लिए उत्तराधिकार कानून के मुताबिक पक्षकारो को सुनकर पुनः विधि के अनुरूप नामांतकरण निर्णित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक ...30.09.2021............. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:42:56 IST
Reason: SelfAttested